Speed post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

File No. RU-IV/Maha/(MCI)/Tour/2017 Dated: 26 05.2017

To

The Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

Sub: Tour Report of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Maharashtra state from 04.04.2017 to 17.04.2017.

Sir/Madam ,

I am directed to enclose copy of Tour report of Smt. Mayaya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, NCST to Maharashtra from 04.04.2017 to 17.04.2017 for necessary action.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission within 15 days.

Yours faithfully,

(D.S. Kumbhare) 26/5/2017
Under Secretary

Copy for information and necessary action to:-

1. The District Collector, District – Nagpur, (Maharashtra).
2. The District Collector, District – Gondia, (Maharashtra).
3. The District Collector, District – Bhandara, (Maharashtra).
4. The District Collector, District – Gadchiroli (Maharashtra)
5. The District Collector, District – Wardha (Maharashtra)

2424-30
29/5/17

ISSUED

O/C

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग

दिनांक०४/०४/२०१७ से १७/०४/२०१७ तक महाराष्ट्र के मुंबई का भ्रमण का प्रतिवेदन |

श्रीमती माया ईवनाते सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ,भारत सरकार द्वारा दिनांक: ४/४/२०१७ से १७/४/२०१७ तक महाराष्ट्र का प्रवास किया गया | आयोग के मुख्यालय से बेतार संदेश संख्या SA/NCST/TOUR/0२ दिनांक: ४/४/२०१७ के द्वारा महाराष्ट्र के सचिव ,अनुसूचित जनजाति नागपुर,गोंदिया,भंडारा,गडचिरोली,वर्धा,रामटेक,महाराष्ट्र एवं सर्व संबंधीत को सूचित किया गया|

दिनांक: ०४/०४/२०१७

मिनी माडा – आदिवासी लोक सख्या ५००० होनी चाहीए |
१ नागपुर जिल्हे में आदिवासी आश्रम शाला तथा आदिवासी छात्रावास की समीक्षा ली |

४. आदिवासी घरकुल योजनाओं की जानकारी ली । इन सभी चर्चाओं में ए.टी.सी. माधवी खोडे, सह.आयु.श्री. प्रशांत हेडाउ, वरिष्ट संशोधन अधिकारी श्री. नारीगे, अधीक्षक अभियंता श्री. जनबंधु, नियोजन अधिकारी नागपुर प्रकल्प श्री. सुतार, मिटिंग में उपस्थित थे |

[इस बैठक में विविध योजनाओं के बारे में चर्चा में यह निर्दशन में आया की आदिवास योजनायें पुरी तरह से निभाई नहीं जा रही आदिवासीयों तक योजना नही पहुंच रही है|इनकी जाँच होनी चाहिये]

दिनांक : ०५/०४/२०१७

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती माधवी खोडे सहायक आयुक्त नागपुर आदिवासी विभाग तथा उनके अन्य अधिकारी के साथ बैठक की गई तथा विविध पहलुओं पर चर्चा की गई उसमें से प्रमुख रूप से निम्न विषयों पर जानकारी हासिल की गई|

१ कौशल्य विकास योजना के बारे में पुछताछ की | पूछताछ में माधवी खोडे इन्होने बताया की, पिछले साल इस योजना में ५ करोड रूपये शासन से आये थे | उस में से २ करोड ७० लाख निधि वापस गई और इस साल ५ करोड़ ९८ लाख निधि आई है |

२ टी.एस.पी. माडा / मिनी माडा

माडा – आदिवासी लोक संख्या १०००० होनी चाहिए |

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती माया चिंतामण [illegible]/Smt. Maya Chintamn Ivnate
[illegible]/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

१ नागपुर स्थित रविभवन के मिटिंग हॉल मेंदोपहर १२:00 बजे सहायक आयुक्त कार्यालय के अधिकारीयों के साथ तथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों के साथ सामुहिक बैठक ली गई | बैठक के दौरान विविध सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा की गई | अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के जिन व्यक्तियों को शासकीय नौकरी मिलने वाली है उन सभी की करीब२५००प्रकरणों मे बड़े पैमाने पर अनुसूचित जनजाति की कास्ट व्यालिडिटी सर्टिफिकेट मिलना बाकी है |

२ इस पर आदिवासी आयुक्त कार्यालय के श्रीमती गिरी ने कार्यालयीन समस्या बताते हुए अधिकारी तथा कर्मचारियों की कमी रहने के कारण जाती वैधता प्रमाणपत्र नियमित करने में देरी हो रही है | जाती वैधता प्रमाणपत्र जारी करने में सरे शासकीय नियमों का पालन करके तथा पूरी तरह जाँच-पड़ताल करके नियमित करने के लिए निर्देशित किया गया |

३ ठक में उपस्थित आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों अनुसूचित जनजातियों के लिए शासकिय योजनाओं का लाभ न मिलने की तथा साथ ही संबंधित कार्यालय के अधिकारीयों के असहयोग के बारे में शिकायत की | इस मुद्दे पर बैठक में

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उपस्थित सभी सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के अधिकारीयों को उपयुक्त कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया |

दिनांक: १०/५/२०१७

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

१ नागपुर से १४० कि.मी.जिला गोंदिया के लिए सुबह८:00 बजे रवाना | सुबह ११:00 बजे गोंदिया जिला S.P. श्री डॉ.दिलीप भुजबल तथा गोंदिया जिला कलेक्टर प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई | गोंदिया जिला परिषद के सदस्य श्रीमती सुनीता मडावी (अनुसूचित जनजाति सदस्य) ने सौपी हुई शिकायत अर्जी पर विस्तारपूर्वक जायजा लिया गया | श्रीमती सुनीता मडावी सदस्य जि.प. के साथ हुई मारपीट तथा जातिवाचक अपशब्द का प्रयोग के लिए जिम्मेदार जि.प.गोंदिया के आरोग्य व शिक्षण विभाग के सभापती श्री. कटरे पर पुलिस थाना गोंदिया में ॲट्रोसिटी ॲक्ट के अधिन रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी | उस पर तत्काल उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया |

Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

TheHitavada

THE PEOPLE'S PAPER • SINCE 1911

National ST Commission member visits Gondia

Have come to know facts: Maya Iwnate

Cong delegation submits memorandum to SP

Butibori–Tuljapur four-lane work to complete in 8 phases

Two trying to break into ATM booth caught

Rs 1 cr CT Scan mac[h] KTS ailing since 15 m

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

सभागृह में जिप सभापति एवं महिला सदस्य के बीच हाथापाई का मामला

एट्रासिटी की धारा रद्द करें, अन्यथा आंदोलन

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाति महिला आयोग पहुंचा गोंदिया

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नेशनल शेडयुल्ड ट्राइबल कमीशन दिल्ली सदस्य सौ. मायाताई इनवते गोंदिया पहुंची !!

गोंदिया - प्रति., 10 अप्रैल को सुबह 11बजे नेशनल शेड्युल्ड ट्राईबल कमीशन दिल्ली की सदस्या सौ. मायाताई इनवते गोंदिया शासकीय विश्रामगृह पहुंची उनके साथ [illegible] सहित अनेकों आदिवासी [illegible] उपस्थित थे। [illegible] ने सौ. मायाताई इनवते का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

सौ.मायाताई इनवते ने विगत दिनों गोंदिया जिला परिषद सदस्या सौ. सुनीता मडावी व पी.डी.काटे के बीच हुई विवाद व मारपीट के मामले की विस्तृत जानकारी हासिल की। साथ ही जि.प. सदस्या राजलक्ष्मी तुरकर, गंगाधर परशुरामकर व सौ.सुनिता मडावी ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देकर पी.डी.काटे की गिरफ्तारी व जि.प.सदस्यता रद्द करने की मांग रखी।

सौ. मायाताई इनवते ने गोंदिया जिला पुलिस अधिकारी डॉ. दिलीप भुजबल पाटील व जि.प.अध्यक्ष श्री. उमाताई मेंढे सहित अनेकों प्रशासकीय अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर अनेकों प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिले व मांगपत्र व निवेदन सौंपा। आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी के अनेकों अधिकारी भी शासकीय विश्रामगृह में उपस्थित थे। उन्होंने भी सौ. मायाताई इनवते का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया।

सौ. मायाताई इनवते ने गोंदिया जिले के पत्रकारों से [illegible] अपूर्व मेठी, [illegible] हरीश मोटघरे, आनंद [illegible] सतीश पारधी सहित अन्य पत्रकारों से चर्चा की। [illegible] परिषद को संबोधित किया [illegible] दोपहर 12.30बजे भंडारा [illegible] निर्धारित कार्यक्रम हेतु गोंदिया से भंडारा के लिये प्रस्थान किया।

<u>भंडारा</u>

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

१ दोपहर ३:00 बजे गोंदिया से नागपुर वापसी के दौरान भंडारा जिला के कलेक्टर कार्यालय से भेट दी गई | मिटिंग के दौरान आदिवासी विकास विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर तथा जिला कलेक्टर के सात जिले के पिचड़े वर्गकेअनुसूचितजनजातियों के लिए चलाई जा रही विविध योजनाओ पर चर्चा की गई | भंडारा जिले के आदिवासी पिछड़े वर्ग तक सभी सरकारी कल्याणकारी योजनओं को लाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए|

१. सायंकाल७:00 बजे भंडारा से नागपुर के लिए प्रस्थान|

दिनांक: ११/५/२०१७

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती माया चिंतामन इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

१. नागपुर से जिला गडचिरोली के लिए प्रात ७ :३० बजे रवाना गडचिरोलीजिलाधिकारी कार्यालय में जिला प्रशासन तथा आदिवासी आयुक्तालय के प्रोजेक्ट ऑफिसर तथा स्थानिय आदिवासी संघटना के साथ संयुक्त सभा मे अनुसुचित जनजाति क्षेत्र मे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के बारे में पुष्टि की गई | जिला प्रशासन ने इस संबंध में कहा कि गडचिरोली जिला १०० % आदिवासीक्षेत्र है | तथा इस जिले मे नक्सलवाद एक बहुत बडी समस्या है| सरकारी योजनाओ को दुर्गम भागों मेंपहुचाने में बडी मुश्किलों का सामना करनापड़ रहा है| गडचिरोलीशहर में प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा सरकारी योजनाओ को बड़े पैमाने में प्रसार और प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया | साथही आदिवासी युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के लिए प्रोत्साहित करनेपरजोरदेनेके लिए तथा इस क्षेत्र मेंउचितकदमबढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए |

२. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद शाखा जिला गडचिरोली के पदाधिकारियों ने मा.सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निवेदन देकर माना यह जाती व जनजाति के लोगों के लिए

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नियमित की गई | अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र रद्दकरनेकिमांग की | इस संबंध में जिला कलेक्टर चंद्रपुर व गडचिरोली से वार्तालाप की गई तथा मुद्दे पर उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया |

३. ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाइज फेडरेशन जिला शाखा गडचिरोली द्वारा सौपे गए निवेदन पर चर्चा किन गई तथा निवेदन में लिखित मुद्दों पर योग्य कार्यवाही की सुचना दी गई |

४. मा. उच्च न्यायालयाने, नागपुर द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद भी एम.आय.डी.सी. गडचिरोली के लिए अधिगृहित कि गई जमीन का मुआवजा व अनुदान राशी किसानों को न मिलने की शिकायत की गई, इससे वहाँ के किसानों कि आर्थिक परिस्थिति ख़राब हो गई है | इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी नागपुर तथा जिलाधिकारी गडचिरोली को तत्काल इस पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया |

आढावा बैठक : अनुसूचित जमाती केंद्रीय आयोगाच्या सदस्यांचे निर्देश

सर्व यंत्रणांनी समन्वयातून काम करावे

गडचिरोली : आदिवासी भागाच्या व आदिवासींच्या विकासासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्या माया इवनाते यांनी मंगळवारी येथे केले.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या एकदिवसीय भेटीत त्यांनी आदिवासी विकास विभागांतर्गत जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक होते. सन २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्याचा आदिवासी उपयोजना आराखडा २२७ कोटी रुपये होता. मंजूर तरतूदीपैकी २२२ कोटी ८५ लक्ष हा निधी प्राप्त झाला. तो पूर्ण खर्च करण्यात आला. जिल्ह्यात गडचिरोली, अहेरी आणि भामरागड येथे प्रकल्प अधिकारी कार्यालये आहेत. या बाबत आदिवासी प्रकल्पाधिकारी

आढावा बैठकीला उपस्थित आयोगाच्या सदस्य माया इवनाते, बाजुला जिल्हाधिकारी नायक, दैठणकर व अन्य अधिकारी

कार्यालयातील नियोजन अधिकारी खडतकर यांनी पॉवर पॉईन्ट सादरीकरणाव्दारे सविस्तर माहिती यावेळी सादर केली. या निधीखेरीज जिल्ह्यात ५० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असल्याने पेसा कायदा लागू असलेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतींना थेट निधी शासन देते. या १६ कोटीहून अधिक रकमेच्या विनीयोगाबाबतही इवनाते यांनी माहिती जाणून घेतली.

उपजिवीका आणि कौशल्य प्रशिक्षणातील काही भाग तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता कालबाह्य झाला आहे. त्यात कालानुरुप बदल करण्यासाठी आपण प्रयत्न करु असे इवनाते यावेळी म्हणाल्या.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनावणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कमलेश भंडारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर आदींसह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

कुल पृष्ठ 12+6+18 | मूल्य ₹4.50

नागपुर, गुरुवार 13 अप्रैल, 2017 | वैशाख कृष्ण पक्ष -2, 2074

बोगस आदिवासियों की सुरक्षा का कानून रद्द करें

आदिवासी विकास परिषद की मांग

चंद्रपुर। गडचिरोली पेसा कानून पर अमल करें, धनगर और अन्य जनजाति को समावेश अनुसूचित जनजाति में न करें की मांग के साथ ही 15 जून 1995 के बोगस आदिवासियों को सुरक्षा देने वाला सामान्य प्रशासन विभाग का सरकारी निर्णय शीघ्र रद्द करने की मांग आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य माया इवनाते को भेंट प्रपत्र से की है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य माया इवनाते ने गडचिरोली जिले का दौरा किया। इस समय आदिवासी विकास परिषद के जिलाध्यक्ष घनश्याम मडावी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भेंट लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जिला के आदिवासियों के लिए आरक्षित 24 प्रतिशत आरक्षण कायम रखते हुए आदिवासी उम्मीदवारों को ही विभिन्न पद भर्ती में मौका देना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले बोगस आदिवासियों से जाति प्रमाणपत्र लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, पेसा अधिसूचना के तहत ही सभी स्थानीय उम्मीदवारों को मौका देना, गडचिरोली एमआईडीसी के लिए अधिग्रहित भूमि का अतिरिक्त हानि संबंधित किसानों को देना, जिले का वनोपज वन विकास महामंडल की ओर हस्तांतरित न करना, ठक्कर बाप्पा अनुदान की राशि बढ़ाकर 2 लाख मंजूर करना, आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करना आदि मांगों का निवेदन माया इवनाते को सौंपा गया है। प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी विकास परिषद के उत्तमराव पेंदाम, भरत येरमे, सदानंद ताराम, आनंद कंगाली, अशोक येरमे, दिनेश शेडमाके, प्रकाश मडावी, वर्षा शेडमाके, गुरुदास येरमे, सुरेश पेंदाम, भगवान पेंदाम, मधुकर काळे, ईश्वर गेडाम आदि का समावेश था।

दिनांक: १२/०५/२०१७

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नागपुरसे प्रात: ९:00 बजे ८० कि.मी.वर्धा के लिए प्रस्थान |

१ वर्धा जिले में जिलाधिकारी और आदिवासी विभाग के सभी अधिकारीयों से मिटिंग ली गई |जिले में कौन-कौनसी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिल रहा है , कौनसी नई योजना चालू करने पर आदिवासियों को रोजगार मिलेगा | उसी प्रकार अलग-अलग आदिवासी संघटनाओं ने निवेदन दिए तथा उनकी स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया |

२ वर्धा जिले में १२:00 बजे जिलाधिकारी श्री. शैलेश नवाल,आदिवासी विकास विभाग के उप प्रकल्प अधिकारी एन.एस.काम्बले, जिला परिषद के उपमुकाअ विवेक इलमे, जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश रामटेके व आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे | लोन सावली,बोथली,किन्हाला,स्थितअनुसूचितजनजातिके किसानों को वन जमीन

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मंजूर हुई है | उनके नाम पर जमीन करवा कर दी जाए | साथ ही शासकीय योजना का लाभ देकर खेत,तालाब,व खेती सामग्री उपलब्ध करा देने की सूचना इस प्रसंग पर दी गई |

३ उसी प्रकार वर्धा जिले में आदिवासियों को बांबू प्रशिक्षण देकर उनको स्वयं रोजगार दिया जा रहा है , और उनको दो एकड़ जमीन दी जा रही है | जिसमें वो सभी प्रकार के बांबू से तैयार होनेवाली सामग्री बनाए और उसका व्यवसाय करे |

४ वर्धा जिले में अनुसूचित जनजाति के लडके/लड़कियों को तीन महीने का यूपीएससीकोर्ससिखाया जाता है | तीन महीनो में यह पढाई पूर्ण नहीं हो पाती,इस अंतराल को दो साल किया जाए |जिससे आदिवासी बच्चोकी पढाई अच्छी तरह से पूर्ण हो सके ||

५ जिले के विविध आदिवासी संघटनों द्वारा दिए गए निवेदनो पर चर्चा की गई साथ ही उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया |

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सायं. ६:00 बजे नागपुर के लिए प्रस्थान | रात्री७:00 बजे नागपुर आगमन तथा विश्राम |

नागपुर नवभारत प्लस

आदिवासी विद्यार्थियों के

छात्रवृत्ति प्रकरण शीघ्र निपटाएं

माया इवनाते ने दिए निर्देश

वर्धा (का) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के वर्ष 2015-16 के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के प्रकरण 1 मई तक निपटाए. साथ ही जाति प्रमाणपत्र के लिए तहसील स्तर पर शिविर लेकर प्रकरणों को हल करने के निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्या माया इवनाते ने जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में की. इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेश नवाल, आदिवासी विकास [illegible] के उपप्रकल्प अधिकारी एन.एस. कांबले, जिला परिषद [illegible] विवेक इलमे, जिला समाज कल्याण अधिकारी व [illegible] रामटेके व आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे. लोनसावली, बोथली, किन्हाला स्थित अनुसूचित जनजाति के किसानों को वन जमीन मंजूर हुई है. उन्हें उनके नाम पर जमीन करवा कर दी जाए. साथ ही शासकीय योजना का लाभ देकर खेत तालाब व खेती सामग्री उपलब्ध करा देने की सूचना इस प्रसंग पर इवनाते ने की.

परिसर में मचा हड़कम्प

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सदस्य ईवनाथे यांची आयएएस ॲकेडमीला भेट

कुस्ती स्पर्धेत शालीनी मोरे व किरण हुलकेला कांस्यपदक

कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतमालाचे बाजारभाव

गाव	सोयाबीन	कापूस	तूर	गहू	चणा
वर्धा					
हिंगणघाट					
वडोरी					
कारंजा					

दिनांक: १३/०५/२०१७

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नागपुर से सुबह ९:00 बजे ६० कि.मी. तालुका रामटेक के लिए प्रस्थान |

१. रामटेक जिले में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए | शैक्षिक अभिलेख की जाँच की गई | शिक्षकों की बैठक लेकर आदिवासी विद्यार्थियों के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए |

२. आदिवासी बच्चों के सरकारी छात्रावास में मुलकात की | अस्वच्छ भोजन, अशुद्ध पानी की समस्याएं सामने आई | इस बारे में प्रशसन को कड़े निर्देश दिए गए |

श्रीमती माया चिंतामण इवनाते/Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi